संख्या-15/सा-3-1036/दस-2014-301(18)/2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 28 नवम्बर, 2014

विषय:- "ई-पेंशन सिस्टम" का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या-433/पे0नि0/कम्प्यू0/ई-पेन/2014, दिनॉक 26-11-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बाराबंकी के 66 आहरण एवं वितरण अधिकारियों में से मात्र 15 आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा जनपद उन्नाव के 65 आहरण एवं वितरण अधिकारियों में से मात्र 07 आहरण एवं वितरण अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर दिनॉक 26-11-2014 तक प्राप्त किये जा सके हैं। निदेशक, पेंशन द्वारा संस्तुति की गयी है कि चूँकि डिजिटल सिग्नेचर के अभाव में पेंशन-प्रपत्रों का अग्रसारण ही संभव नहीं है, अत: "ई-पेंशन सिस्टम" द्वारा पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु "कट-ऑफ-डेट", 30 नवम्बर, 2014 से बराबर आगे बढ़ा दी जाये।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्णित परिस्थितियों में जनपद उन्नाव एवं बाराबंकी से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण का निस्तारण "ई-पेंशन सिस्टम" द्वारा किये जाने हेतु कट ऑफ डेट जो शासनादेश संख्या-10 / सा- 3- 979 /दस- 2014-

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

301(18)/2013, दिनॉक 28-10-2014 द्वारा 30 नवम्बर, 2014 नियत की गयी थी, को एतदद्वारा संशोधित करते हुए 31 दिसम्बर, 2014 किया जाता है।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी/ अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भॉति निस्तारित किये जाते रहेंगे। किसी भी पेंशन प्रकरण का निस्तारण किसी भी दशा में इस आधार पर नहीं रोका जायेगा कि "ई-पेंशन सिस्टम" अभी क्रियान्वित नहीं हो सका है। दिनॉक 28-10-2014 के शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समस्त संबंधितों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनॉक 15 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाये। निदेशक, पेंशन इस कार्यवाही का समन्वय करते हुए, दिनॉक 17 दिसम्बर, 2014 को शासन को अद्यावधिक सूचना प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-15/सा-3-1036(1)/दस-2014-301(18)/2013, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in